न्यायालय तहसीलदार, मण्डावा जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र
आर.टी.एस.

मु.न. 40/2022

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी सीगड़ा

बनाम

बजरंगलाल, चिरंजीलाल, जगदीश, सुरेन्द्र, मुखराम पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी मोडसरा का बास तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं —— अप्रार्थी

——

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

——

आदेश

दिनांक 25.07.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सीगड़ा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की ग्राम मोडसरा के भूमि ख0न0 230 रकबा 0.97 है0 किस्म गैर मुमकीन जोहड में से 0.08 हैक्टर भूमि पर बजरंगलाल, चिरंजीलाल, जगदीश, सुरेन्द्र, मुखराम पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी मोडसरा का बास तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं ने पक्का मकान व बाड़ बनाकर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस से तलब किया गया। गैरसायल को नोटिस बाद तामिल प्राप्त । गैरसायल उपस्थित हुये लेकिन कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली किया। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में कोई व्यक्ति राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 चारागाह/जोहड़ पर अतिक्रमण नही कर सकता है। जिसकी ताकीद माननीय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जोधपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के अनुसार उक्त अतिक्रमित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं अतः गैरसायलान को वादगस्त आराजी भूमि ख0न0 230 रकबा 0.97 है0 किस्म गैर मुमकीन जोहड में से 0.08 हैक्टर से अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश बेदखली का पारीत किया जाता है। पेनेल्टी स्वरूप लगाान का 50 गुणा से 40/–रूपये बतौर जुर्माना की शास्ति की जाती है। पटवारी हल्का को पनेल्टी वसूली हेतु लिखा जावें। तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी कराई जावें। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि जोहड भूमि पर पक्का मकान व बाड़ को तुरन्त हटवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायलय में प्रस्तुत करें व गैरसायल को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.10.25 17:11:40 IST
Reason: SelfAttested

(सुभाष चन्द्र)
तहसीलदार मण्डावा

तहसीलदार मण्डावा
जिला झुंझुनूं

4 के पृष्ठ संख्या 54 पर राशि 40 रू वर्ष 23-24 में मांग कायम की गयी।

तहसील राजस्व लेखाकार